राजस्थान सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांकः F.1(01)ELE.EDU./PLAN/2024-07222-6353877 जयपुर, दिनांक :यथा हस्ताक्षर

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय :– लेखानुदान घोषणा (2024–25) बिन्दु (34) में गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रूपये का सेविंग बॉण्ड प्रदान करने हेतु **"लाडो प्रोत्साहन योजना"** के संबंध में।

संदर्भः– आपके पत्र क्रमांक शिविरा–प्रारं/छात्रवृति/3745/लाप्रोयो/2024–25 दिनांक 11.09.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि मुख्यमंत्री लेखानुदान घोषणा (2024–25) बिन्दु (34) में गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रूपये का सेविंग बॉण्ड प्रदान करने हेतु **"लाडो प्रोत्साहन योजना"** के लिए तैयार विभागीय मानक संचालन प्रकिया (**SOP Draft**) को अनुमोदित किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(**मुन्नी मीना**)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1.निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
2.रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified

Digitally Signed by Munni Meena
Designation : Joint Secretary To Government
Date :18-12-2024 02:10:14

RajKaj Ref No.: 12500579

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंराज(प्राशि) राजस्थान, बीकानेर

(ई–मेल– scholarship.ele.2013@gmail.com दुरभाष– 0151–2226563)

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं / छात्रवृति / 3745 / लाप्रोयो / 2024–25 / दिनांक :– यथाहस्ताक्षर

शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय
राजस्थान, जयपुर।

विशयः– लेखानुदान घोषणा (2024–25) बिन्दु (34) में "गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का सेविंग बॉण्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना"।

संदर्भः– शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प. 27 (1)(39) / निमअ / लाप्रोयो / 2024 / 02384 दिनांक 30.07.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रांक के कम में निवेदन है कि मुख्यमंत्री लेखानुदान घ ोषणा (2024–25) बिन्दु (34) में "गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का सेविंग बॉण्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना दिनांक 01.08.2024 से लागू की गई है। इस योजना के तहत तीसरी से छठी किस्त का भुगतान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना है।

अतः इस योजना हेतु विभागीय मानक संचालन प्रकिया (एसओपी ड्राफ्ट) तैयार किया जाकर अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

सादर !

संलग्नः– मानक संचालन प्रकिया (एसओपी ड्राफ्ट)

(सीता राम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायतीराज
(प्रा.शि.) विभाग, राजस्थान
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally Signed by SITA RAM JAT
Designation : Director
Date :11-09-2024 11:06:31

ajKaj Ref No.: 10350260

लाडो प्रोत्साहन योजना की तृतीय एवं पश्चातवर्ती किश्तों का भुगतान शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन किये जाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) Draft

1 .योजना का परिचय :–

लेखानुदान घोषणा (2024–25) बिन्दु (34) में ''गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का सेविंग बॉण्ड प्रदान करने हेतु'' लाडो प्रोत्साहन योजना दिनांक 01.08.2024 से लागू की गई है। शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 2024–25 से प्रथम कक्षा मे प्रवेश लेने वाली छात्राओं को इस योजना का लाभ देय होगा।

2 .योजना के उद्देश्य :–

1. राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना।
2. बालिकाओं के पालन–पोषण, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग–भेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।
3. संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना।
4. बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते शिशु लिंगानुपात को सुधारना।
5. बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
6. बालिकाओं को समाज में समानता का अधिकार दिलाना।
7. बालिकाओं की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना एवं बाल विवाह में कमी लाना।

3. योजना का विवरण :–

1. बालिका के जन्म पर ₹ 1 लाख की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा।
2. सम्पूर्ण भुगतान 7 किश्तों के रूप में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाईन किया जाएगा।
3. बालिका के वयस्क होने तक पहली छः किश्तें बालिका के माता–पिता/अभिभावक के बैंक खाते में एवं सातवीं किश्त बालिका के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाईन हस्तांतरित की जायेगी।
4. राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित किया जायेगा एवं राजश्री योजना की आगामी किश्तों का लाभ पात्रतानुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय होगा।

4. योजना के अन्तर्गत देय लाभः–

योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता/अभिभावक को कुल राशि रूपये 01 लाख अधिकतम का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा :–

क्र.सं.	विवरण	देयराशि (रू.)
1	राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत चिकित्सा संस्थानों में बालिका के जन्म पर	2500/–
2	बालिका की उम्र 01 वर्ष पूर्ण होने एवं समस्त टीकाकरण पूर्ण होने पर	2500/–
3	राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर	4000/–
4	राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर	5000/–
5	राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर	11000/–
6	राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर	25000/–
7	सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर	50000/–
8	कुल	1,00,000/–

नोटः– स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा केवल तृतीय से छठी किश्त तक के भुगतान की कार्यवाही शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

5. पात्रताः–

1. बालिका को जन्म देने वाली प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी हो।
2. राजकीय चिकित्सा संस्थान/जननी सुरक्षा योजना (JSY) योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने वाली बालिका।
3. लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय समस्त परिलाभ राजस्थान जन–आधार कार्ड के माध्यम से ही देय है।
4. मुख्यमंत्री राजश्री योजना में पात्र पाई गई बालिका जिनको तृतीय किश्त का भुगतान हो चुका है।

6. प्रक्रियाः–

1. गर्भवती महिला की एएनसी जॉच के दौरान राजस्थान की मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र अथवा विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र, बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेज प्राप्त कर उक्त दस्तावेजों का चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संधारण किया जायेगा एवं पीसीटीएस पोर्टल पर गर्भवती महिला का विवरण इन्द्राज किया जायेगा।
2. योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव से बालिका के जन्म होने की सुनिश्चितता पर प्रथम किश्त का लाभ बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक/सरंक्षक के बैंक खाते में देय होगा।
3. योजना का लाभ प्राप्त करने एवं भविष्य में लाभार्थी की ट्रेकिंग के लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आईडी/पीसीटीएस आईडी नं. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जावेगा।
4. बालिका की आयु एक वर्ष पूर्ण होने एवं सम्पूर्ण टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाईन करने के उपरांत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक/संरक्षक के बैंक खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर की जायेगी।
5. प्रथम व द्वितीय किश्त का लाभ प्राप्त करने के लिये पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ओजस पोर्टल के माध्यम से D.B.T. प्रणाली द्वारा लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किए गये प्रथम व द्वितीय किश्त के भुगतान का विवरण ओजस पोर्टल को उपलब्ध करवाया जावेगा।
6. द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रूप में मातृ–शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड के आधार पर टीकाकरण का समस्त डाटा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पीसीटीएस/ओजस पोर्टल पर अपलोड करने पर देय होगा।
7. तीसरी किश्त से छठी किश्त तक के लाभ हेतु कक्षा 1, 6, 10 एवं 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने के उपरान्त सम्बंधित राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु बालिका के माता–पिता/अभिभावक से पूर्व किश्तों की आई. डी. के अलावा किसी प्रकार का पृथक से कोई आवेदन नहीं करवाया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय किश्त की भुगतान आई.डी. के माध्यम से पोर्टल पर बालिका का विवरण ट्रैक किया जाएगा। किश्त भुगतान हेतु राजस्थान जनाधार कार्ड के साथ बैंक पास बुक की छाया प्रति आवश्यक रुप से उपलब्ध करवाई जाएगी।
8. अंतिम किश्त अर्थात बालिका के स्नातक कक्षा में प्रवेश करने पर सम्बंधित समस्त दस्तावेज पोर्टल पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपलोड करने होंगे ताकि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा 21 वर्ष पूर्ण होने पर योजना का लाभ दिया जा सके।

7. <u>पर्यवेक्षणः–</u>

1. योजना का प्रशासनिक विभाग निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास होगा।
2. योजना की समीक्षा जिला स्तर पर संबंधित जिला कलक्टर के द्वारा तीन माह में एक बार की जाएगी। '**बेटी बचाओ बेटी पढाओ**' योजना की जिला टास्क फोर्स के द्वारा योजना का पर्यवेक्षण किया जायेगा।
3. योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ही योजना का संचालन किया जायेगा एवं आवश्यकता होने पर समुचित संशोधन किए जा सकेंगे।

8. <u>उत्तरदायित्व :–</u>

❖ **राजकीय विद्यालयों (राप्रावि/राउप्रावि/रामावि/राउमावि) संस्था प्रधानो के लिये**

1. समस्त राजकीय एंव मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना हेतु अपने विद्यालय से एक शिक्षक/शिक्षिका को लाडो प्रोत्साहन योजना का प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा। यह दक्ष शिक्षक/शिक्षिका विद्यालय में लाडो प्रोत्साहन योजना का प्रभारी होगा। विद्यालय द्वारा बालिकाओं को तृतीय एवं पश्चातवर्ती किश्तो की जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी।

2. राजकीय एंव मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 1, 6, 10 एवं कक्षा 12 में प्रवेश के समय, योजना हेतु पात्र बालिकाओं की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावक से यूनिक आई.डी. Pregnancy&Child Tracking and Health Services Management System ID (PCTS ID) प्राप्त कर इसका प्रपत्र–9 में इन्द्राज किया जायेगा। जिसके आधार पर शाला दर्पण पोर्टल पर बालिका का विवरण ट्रैक किया जाएगा। विद्यार्थी सर्च का विकल्प शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
3. योजना के लाभ हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्र शाला दर्पण/पीएसपी पोर्टल पर उपलब्ध करवायें गये विकल्प द्वारा ऑनलाईन प्रविष्ट किए जाएगें तथा बेनिफिशियरी पोर्टल पर शेष किस्तों का भुगतान किया जाएगा।
4. संस्था प्रधान द्वारा आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व आवेदन को अद्यतन एवं डिलीट (Delete) की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
5. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा सम्बन्धित PEEO/UCEEO को और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आवेदन सीधे ही जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को ओटीपी के माध्यम से लॉक कर अग्रेषित किये जायेंगे।
6. मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के आवेदन उस क्षेत्र के PEEO/UCEEO की आईडी पर पीएसपी पोर्टल से शालादर्पण पोर्टल पर फैच किए जाऐंगें।

❖ पीईईओ / यूसीईईओ राजकीय विद्यालयों के संस्थाप्रधानों के लिये –

1.PEEO/UCEEOविद्यालय के द्वारा अपने शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन पर प्राप्त अधीनस्थ प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक व मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के सभी आवेदनों का गहन परीक्षण और भौतिक दस्तावेजों की जांच पात्रता हेतु की जायेगी।

2.जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारंभिक शिक्षा को ओटीपी के माध्यम से लॉक कर अग्रेषित किये जायेंगे।

3.आक्षेपित आवेदन आक्षेप के साथ वापस रिवर्ट कर दिये जायेगें। जिन्हें विद्यालय स्तर से आवश्यक पूर्ति कर पुनः प्रक्रियाअनुसार निर्धारित समयावधि में अग्रेषित किया जा सकेगा।

❖ सीबीईओ(CBEO) कार्यालयों के लिये –

1. सीबीईओं कार्यालय के द्वारा शालादर्पण पोर्टल लॉगिन पर उपलब्ध रिपोर्ट्स के आधार पर योजना की निदेशालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जायेगी और विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के तुरन्त बाद बालिकाओं को योजनाओं के लाभ हेतु शत प्रतिशत प्रविष्टियॉ पोर्टल पर ऑनलाईन होने के उपरांत अग्रेषित हो गई है, सुनिश्चित किया जायेगा। तथा इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा) के माध्यम से निदेशालय को प्रस्तुत करेगें।

❖ जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालयों के लिये –

1 जिला शिक्षा अधिकारी (HQ) प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय के छात्रवृत्ति प्रभारी एवं लेखा कार्मिकों द्वारा शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन पर ऑनलाईन प्राप्त हुए आवेदनों का परीक्षण किया जायेगा. एवं ऑनलाईन ही पात्र बालिकाओं हेतु भुगतान स्वीकृति तैयार की जायेगी।

2 जिला शिक्षा अधिकारी (HQ) प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय द्वारा तैयार की गई भुगतान स्वीकृति के लिये सिस्टम आधारित यूनिक कोड़ ऑटो जनरेट किया जायेगा जो स्वीकृति आदेश पर दिनांक सहित प्रदर्शित किया जायेंगा।

3. ऑनलाईन स्वीकृति आदेश तैयार करने के बाद पे–मेनेजर पर बिल तैयार किया जाकर योजना हेतु आंवटित पूल बजट में राशि का उपयोग करते हुए बिल कोषालय को अग्रेषित किये जायेगें।

4. अपूर्ण आवेदन आक्षेप के साथ सीधे ही विद्यालय को रिवर्ट कर दिये जायेगें। जिन्हे विद्यालय स्तर से आवश्यक पूर्ति कर पुनःप्रक्रिया अनुसार निर्धारित समयावधि में अग्रेषित किया जा सकेगा साथ ही आक्षेप से रिवर्ट किये गये आवेदनों की सूचना PEEO/UCEEO के लॉगिन में भी आक्षेप के साथ प्रदर्शित की जायेंगी।

❖ निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राज. बीकानेर के लिये –

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर लाडो प्रोत्साहन योजना की तृतीय किश्त से छठीं किश्त के भुगतान हेतु राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी होगें और जिनके द्वारा छात्रवृति अनुभाग के माध्यम से इस योजना का संचालन किया जायेगा।
2. योजना के लाभ हेतु बालिका द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप, कार्यालयों द्वारा जारी की जाने वाली ऑनलाईन भुगतान स्वीकृति आदेश प्रारूप, महिला अधिकारिता विभाग एवं अन्य विभिन्न स्तरों पर दिखाई जाने वाली रिपोर्ट्स के प्रारूप् मॉड्यूल कां फ्लो (Flow) इत्यादि की सूचना निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान की छात्रवृत्ति शाखा द्वारा, एन. आई.सी शाखा–शाला दर्पण को शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर के माध्यम से उपलब्ध करवाई जायेगी।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा NIC के माध्यम से तैयार करवाये गये मॉड्यूल का परीक्षण कर अन्तिमीकरण करते हुए मॉड्यूल को प्रारम्भ करवाकर विद्यालयों एवं विभागीय कार्यालयों हेतु दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।
4. लाडो प्रोत्साहन योजनाकी तृतीय एवं उत्तरवर्ती किश्तों के लिये भुगतान के सम्बन्ध में समय–सारणी का निर्धारण निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान द्वारा अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं के अनुसार ही जारी किया जायेगा।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल/PSPपोर्टल पर पात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर आवश्यक प्रत्येक सत्र की बजट राशि की मांग महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान को प्रस्तुत की जायेगी। वहां से प्राप्त बजट राशि को IFMS पर अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों को राशि के उपयोग हेतु अधिकृत किया जायेगा।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (मु0) प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा पूल बजट में बजट प्राप्त होने पर उक्त भुगतान स्वीकृतियों के अन्तर्गत सम्मिलित पात्र बालिकाओं को राजस्थान जनआधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाईन राशि स्थानान्तरित करने हेतु सबधिंत कोषालय में बिल अग्रेषित किये जायेगे।

❖ <u>NIC</u>शाखा– शाला दर्पण पोर्टल के लिये–

1. NIC शाखा–शाला दर्पण शिक्षा संकुल जयपुर के द्वारा निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान द्वारा शाला दर्पण प्रकोष्ठ–जयपुर/बीकानेर के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर ऑनलाईन मॉड्यूल और रिपोर्टस के निर्माण में तकनीकी सपोर्ट दिया जायेगा।
2. लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय समस्त परिलाभ 'राजस्थान जन–आधार' कार्ड के माध्यम से ही देय है अतः इस हेतु आवश्यक तकनीकी प्रक्रिया एवं सुविधा सुनिश्चित करने हेतु ऑनलाईन मॉड्यूल और रिपार्ट्स के निर्माण में तकनीकी सपोर्ट दिया जायेगा।
3. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई नवीनतम सूचनाओं के आधार पर समय–समय (पर मॉड्यूल में आवश्यक अपडेशन एवं उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित करना।

4. NIC टीम, ओजस पोर्टल, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान से समन्वय कर API निर्माण एवं अन्य आवश्यक तकनीकी सुविधा उपलब्ध करवाने का दायित्व निर्वहन करेगा।

❖ महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये–

1. लाडो प्रोत्साहन योजना हेतु प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग है। अतः महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा योजना की तृतीय एवं उत्तरवर्ती किश्तो के भुगतान हेतु निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान की मांग के आधार पर समय–समय पर बजट राशि निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा उपलब्ध करवाये गये बजट हैड में हस्तान्तरित करेगा।
2. योजना के सम्बन्ध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग से चाही जाने वाली सभी सूचनाओं के प्रारूप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान के माध्यम से शाला दर्पण प्रकोष्ठ–जयपुर को उपलब्ध करवाये जायेंगे।

❖ शाला दर्पण प्रकोष्ठ–जयपुरके लिये –

1. शाला दर्पण प्रकोष्ठ–जयपुर द्वारा उपर्युक्त मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर निदेशालय, प्रा.शि. राजस्थान बीकानेर से प्राप्त होने वाले फ्लो (Flow) एवं प्रारूपों (Format) के अनुसार NIC शाखा से समन्वय कर आवश्यक मॉड्यूल निर्माण तथा परीक्षण उपरान्त निदेशालय, प्रा.शि. राजस्थान को उपलब्ध करवाया जायेगा और जिसके अन्तिमीकरण (परीक्षण एवं अनुमोदन) पश्चात उसे लाईव करवाया जायेगा।
2. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूची के अनुसार विभागीय अधिकारियों को एक्सेस हेतू लॉगिन आई.डी.टैब उपलब्ध करवाना।
3. समय–समय पर मॉड्यूल में आवश्यक अपडेशन करवाना।
4. मॉड्यूल के सम्बन्ध में आवश्यक प्रशिक्षण कार्यशालाओं/वीडियों कॉन्फ्रेन्स आदि का आयोजना (उपयोगकर्ताओं का आमुखीकरण करना)।

9.योजना की तृतीय एवंउत्तरवर्ती किश्तो के भुगतान की चरणबद्ध प्रक्रिया–

1. बालिका/बालिका के मातापिता/अभिभावक द्वारा PCTS ID जनआधार कार्ड एवं बैंक पास बुक की प्रति विद्यालय को प्रस्तुत करना।
2. विद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ठि करना ।
3. PEEO/UCEEO अधीनस्थ GPS एवं GUPS एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय से ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जॉच करना और त्रुटिपूर्ण आवेदन आक्षेप के साथ विद्यालय को ऑनलाइन ही रिवर्ट करना। पात्र आवेदनों को लॉक कर जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक शिक्षा को अग्रेषित करना ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जॉच करना, पात्र आवेदनों की ऑनलाइन भुगतान स्वीकृति तैयार करना । त्रुटिपूर्ण आवेदन

आक्षेप के साथ विद्यालय को ऑनलाइन ही रिवर्ट करना। भुगतान स्वीकृति जारी करना एवं आवश्यकता अनुसार निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को बजट मांग प्रस्तुत करना। भुगतान स्वीकृतियों के अनुसार जनाधार के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही करना।

5. निदेशालय द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग से आवश्यकता अनुसार बजट प्राप्त करना। योजना हेतु आवश्यक प्रारूप उपलब्ध करवाना। योजना के आवेदन के संबंध में समय सारणी जारी करना, विद्यालयों और कार्यालयों के लिये दिशा निर्देश जारी करना।

(राजेश कच्छावा)
सहायक निदेशक
एवं अनुभाग अधिकारी
छात्रवृत्ति अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर।

(श्रीकिसन पुरोहित)
सहायक लेखाधिकारी
एवं अनुभाग अधिकारी
छात्रवृत्ति अनुभाग
प्रारंभिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर।

(वीणा सोलंकी)
उपनिदेशक
प्रारंभिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर।